FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत——जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

रामचन्द्र वगै0 **बनाम** रमसी वगै0

किस्म मुकदमा— प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 नम्बर 01 —सन्— 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.01.2025	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने जिस आवंटन आदेया को चुनौती दी गई है उस आवंटन आदेश को पूर्व में माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के द्वारा निर्णय दिनांक 18.11.2015 के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अब प्रार्थना पत्र चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने विचाराधीन प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 को निरस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। हमने मूल पत्रावली एवं आवंटन आदेश का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण के द्वारा भू आवंटन सलाहकार समिति के आवंटन आदेश दिनांक 10.5.1989 को इस न्यायालय में चुनौती दी गई है। पत्रावली में संलग्न जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.11.2015 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय के अंतर्गत नायब तहसीलदार दौसा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बडागांव स्थित भूमि खसरा नंबर 1006 से 1008 रकबा 0.42है. को निरस्त करने हेतु पेश किया गया था जिस पर जिला कलक्टर दौसा ने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की विधिवत सुनवाई की जाकर प्रश्नगत आवंटन आदेश दिनांक 10.5.1989 को खारिज किया जा चुका है। अब प्रार्थीगण के द्वारा पुनः उसी आवंटन आदेश को न्यायालय में चुनौती दी गई है। राजस्व रिकार्ड ग्राम बडागांव का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आज दिनांक को भी प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण गोपाल पुत्र सोन्या व रमसी पुत्र ग्यारसा जाति माली निवासी बडागांव के नाम भूमि गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिससे यह सिद्ध होता है कि तहसीलदार के द्वारा उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित नहीं किया गया है। अब तहसीलदार नांगल राजावतान को पुनः निर्णय दिनांक 18.11.2015 की छाया प्रति प्रेषित की जाकर प्रश्नगत भूमि का आवंटन निरस्त कर भूमि को सिवाय चक दर्ज करने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेशिका की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैस[illegible] होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ ले[illegible] जावे। Signature Not Verified Digitally signed by Devendra Kumar Date: 2025.10.01 10:39:04 IST Reason: SelfAttested सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official Devendra जिला कलक्टर दौसा	